न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), गुड़ामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 82 / 2022 (GCMS No. 2022/139)

प्रार्थी :–

1. इन्द्राराम पुत्र शिवदानाराम
जाति मेगवाल निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अणदा वल्द शिवदाना
2. आदा वल्द शिवदाना
3. पांचू पत्नी शिवदान फौत के वारि स्वयं प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1, 2, 4
4. भंवरा पुत्र शिवदान
कौम मेगवाल निवासी नई उन्दरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते नाम दुरूस्ती बाबत्

उपस्थित :–

1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र धोलानाडा के राजस्व ग्राम जूनी उन्दरी में खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 8.74174 हैक्टेयर की आयी हुई है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम इन्द्राराम है जबकि उपरोक्त आराजी में प्रार्थी का घर में बोले जाने वाला नाम अन्दरा दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता पास बुक व अन्य समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम इन्द्राराम दर्ज है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे राजस्व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की दुरूस्ती कराने हेतु उक्त प्रार्थना प्रस्तुत आवश्यकता होने से पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई प्रतिउत्तर/जबाव आदि प्रस्तुत नहीं करने से विप्रार्थीगण का जबाव का अवसर बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक हरीश चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रार्थी का नाम उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 297 की भूमि में अन्दरा पुत्र शिवदान दर्ज है तथा पत्रावली के संलग्न ग्राम नई उन्दरी के खसरा नम्बर 171/1, 171 की भूमि में प्रार्थी का सही नाम इन्द्राराम पुत्र शिवदाना दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात बैंक डायरी व आधार कार्ड में भी प्रार्थी का नाम इन्द्राराम पुत्र शिवदान दर्ज है है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी की भूमि तहसील गुडामालानी पटवार क्षेत्र धोलानाडा के ग्राम जूनी उन्दरी के खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 8.4174 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम "अन्दरा पुत्र शिवदान" के स्थान पर "इन्द्राराम पुत्र शिवदाना" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार गुडामालानी में एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 1/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 14:05:49 IST
Reason: SelfAttested